

जीसियो नियम फार्मूला बी कार्ड ब्यापार कार्ड का प्रारूप

1. रुपया नोट का चलन बन्द होकर । रुपया नोट की जगह । बी कार्ड यानी । ब्यापार कार्ड का चलन होगा ।
2. बी कार्ड एक । इलेक्ट्रानिक डिवाइस होगा । जो आसानी से जेब रखा जा सके ।
3. बी कार्ड मे । ज्यादा मेमोरी डेटा होगा । शुरुवात कम से कम 100 जी बी से होगी । जरूरत पडने पर और बढ़ाई जायेगी ।
4. व्यापार करने वाले व्यक्ति के बी कार्ड मे । व्यापार के हिसाब से । जी बी बढ़ाई जायेगी ।
5. बी कार्ड मे । वर्ष । महीना । दिन । घन्टा । मिनट । सेकेन्ड । अनवरत चालू रहेंगे ।
6. बी कार्ड मे एक कैमरा होगा । जो किसी वस्तु के खरीदी के समय । जरूरत पडने पर । फोटो ली जा सके ।
7. बी कार्ड । इंटरनेट व्दारा । संचालित होगा ।
8. हर बी कार्ड का । अलग अलग नं होगा । जैसा मोबाइल का होता है ।
9. हर बी कार्ड मे । बी कार्ड धारक का फोटो । डिस्प्ले पर रहेगा ।
10. बी कार्ड क्षेत्र के अनुसार । अलग अलग भाषाओं मे होंगे ।
11. बी कार्ड मे जमा हुई । कोई भी जानकारी अमिट होगी । उसे मिटाया नहीं जा सकता । उसमे डिलीट । य इरेजर । का कोई बटन नहीं होगा ।
12. बी कार्ड नस्ट होने पर भी । इंटरनेट पर । सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी ।
13. जो भारत सरकार के अधिकार मे होगा । सरकार से आग्रह करके । दूसरा बी कार्ड बनाया जा सकता है ।
14. बी कार्ड मे मोबाइल जैसा डिस्प्ले होगा । और मोबाइल जैसे बटन होंगे । जिसमे नागरिक अपनी जमा धनराशी चेक कर सकता है । अपनी पुरानी अन्य जानकारी पढ सकता है । संदेश भेज सकता है। संदेश पढ सकता है ।
15. बी कार्ड मे । सिर्फ + धन का बटन होगा । - माइनस का बटन नहीं होगा ।
16. बी कार्ड बिना धन देने की वजह बताये । सिर्फ धन अंक । अंकित नहीं करेगा ।
17. व्यक्ति अपने बी कार्ड से । किसी भी कार्ड मे । किसी भी कार्ड से बी कार्ड मे धन । हस्तांतरण ट्रांसफर कर सकता है ।
18. बी कार्ड मे सिर्फ । टेक्स अदा किया हुआ धन ही जमा होगा ।
19. बी कार्ड 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद बनेगा ।
20. व्यक्ति के । सभी कार्डों मे । सभी कार्डों के नं । व मोबाइल नं । अंकित होना अनिवार्य है ।

21. ताकि व्यक्ति के कार्डों के । गुम हो जाने पर । आसानी से मिल सके ।

बी कार्ड से ब्यापार विशेषताएं

1. सामान और सुविधायें । सिर्फ कार्ड द्वारा ही । खरीदा जा सकती है । और सामान और सुविधायें । सिर्फ कार्ड द्वारा ही । बेची जा सकती है ।
2. एक ब्यापार के लिए । एक ही बी कार्ड होगा ।
3. अलग अलग ब्यापार के लिए । अलग अलग बी कार्ड होंगे ।
4. यदि किसी व्यापारी के । एक ही व्यापार की । भारत में । 500 शाखाएँ हैं । तो उस व्यापारी को । 500 य उससे अधिक । बी सम कार्ड मिलेंगे ।
5. जो एक एक शाखा अधिकारी को । एक एक बी सम कार्ड दिया जाएगा ।
6. जिससे शाखा अधिकारी । शाखा का संचालन करेगा । और लेन देन करेगा । जिसकी हर जानकारी बी कार्ड धारक को होगी ।
7. व्यापारी बी कार्ड से ही । सामान खरीदेगा । और बी कार्ड से ही सामान बेचेगा ।

बी कार्ड में कर्मचारी

1. व्यापारी के बी कार्ड में । व्यापार में लगे सभी कर्मचारियों का । पूरा बायोडाटा । पी कार्ड नम्बर के साथ दर्ज होगा ।
2. बी कार्ड से ही । कर्मचारियों को बेतन । मजदूरी दी जायेगी ।
3. बी कार्ड में । नागरिक की रोज कि आमदनी जमा । खर्चा निकासी । का व्योरा जमा होगा ।

बी कार्ड से घर खर्च

1. पती पत्नी दोनों को । घर खर्च के लिए । बी कार्ड से । पी कार्ड में । धन हस्तान्तरण ट्रांसफर करना होगा ।
2. सिर्फ पत्नी पती । और वर्ष से कम पुत्र । और कुंवारी लडकी के पी कार्ड में । 21
3. एक व्यक्ति के अगर कई बी कार्ड हैं । तो व्यक्ति एक बी कार्ड से । दूसरे बी कार्ड में धन हस्तान्तरण ट्रांसफर कर सकता है ।
4. बी कार्ड में सिर्फ । टेक्स अदा किया हुआ धन ही जमा होगा ।

भारत का धन

1. बी कार्ड से । भारत का धन । लेन देन । भारत की सीमा के अंदर । भारतीय नागरिक से । भारत के किसी भी कार्ड से ही । लेन देन किया जा सकता है ।
2. बी कार्ड से । भारत का धन को । भारत के बाहर । विदेश के । किसी भी कार्ड से । लेन देन नहीं । किया जा सकता है ।
3. बी कार्ड से । भारत का धन । भारत के सीमा के बाहर । नहीं भेजा जा सकता ।

4. बी कार्ड से । भारत का धन । भारत के सीमा के बाहर । विदेश के । किसी भी बैंक में । नहीं जमा । किया जा सकता ।
5. बी कार्ड से । भारत का धन । भारत की सीमा के बाहर । धन भेजने के लिए । बी कार्ड अंकित वैध धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । उस देश में । चलित नोट रूपया ही । भेजे जा सकते हैं ।

विदेश का धन

1. बी कार्ड में । विदेश का धन । भारत की सीमा के । बाहर का धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में । जमा करके । धन को बी कार्ड में । अंकित कराना होगा ।
2. बी कार्ड में । विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे बी कार्ड में । अंकित । जमा नहीं होगा ।
3. बी कार्ड में । विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । धन को बी कार्ड में । अंकित । जमा कराना होगा ।

बी कार्ड धारक को अधिक जमीन

1. बी कार्ड धारक किसी भी भारतीय नागरिक को । भारत की । दुकान । प्लॉट । जमीन । खेती जमीन । खरीदने । और बेचने का अधिकार नहीं होगा ।
2. बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । अधिक जमीन उपयोग करने के लिए । भारत सरकार नगर पालिका से । सरकारी मदद अधिक जमीन मिलेगी ।
3. उस अधिक जमीन का । बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । 1 रु स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । बी कार्ड से । अधिक जमीन का किराया । भारत सरकार नगर पालिका के । एन कार्ड में जमा करना होगा ।

अधिक जमीन का निर्माण कार्य व खर्चा

1. अधिक जमीन को । बी कार्ड धारक । आजीवन के लिए ले सकता है ।
2. 1 रु स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । बी कार्ड से । अधिक जमीन का किराया देकर ।
3. अधिक जमीन का निर्माण कार्य । व मरम्मत खर्चा । बी कार्ड धारक । स्वयं करवायेगा ।
4. भारत सरकार का अधिक जमीन के । निर्माण कार्य । व मरम्मत खर्चा में । कोई योगदान नहीं होगा ।

बी कार्ड से 1 दुकान य प्राईवेट नौकरी

1. और बी कार्ड अंकित । 1 दुकान । 300 स्क्वायर फिट य इससे कम की । य प्राईवेट नौकरी मिलेगी । इतना ही वैध होगा ।

बी कार्ड धारक व्यक्ति को बैंक का कर्जा

1. बी कार्ड धारक को । यदि धन की आवश्यकता है । तो बैंक नियमानुसार । 24 घण्टे कर्जा ले सकता है । व्यक्ति बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । बैंक के एकाउन्ट में । बी कार्ड द्वारा वापस करेगा ।
2. व्यक्ति सिर्फ । बैंक से ही धन ले सकता है । किसी भी व्यक्ति से धन नहीं ले सकता ।
3. बी कार्ड आने से । नगद धन । हाथ से हाथ धन देने की । सुविधा बन्द हो जाएगी ।

बी कार्ड से जेवर य नग

1. सिर्फ ज्वेलर्स ही । बी कार्ड से जेवर य नग खरीद सकता है । और बी कार्ड से । जेवर य नग बेच सकता है ।
2. अन्य किसी भी कार्ड धारक के व्यक्ति के लिए । बी कार्ड से जेवर य नग खरीदना । और बी कार्ड से जेवर य नग बेचना अवैध होगा ।

बी कार्ड अंकित वाहन से सार्वजनिक यातायात का ब्यापार

1. बी कार्ड धारक । सार्वजनिक यातायात ट्रान्सपोर्ट का व्यापार करने वाले व्यक्ति को । जन सेवा । देश सेवा । के लिए वाहन रखने पर पाबंदी नहीं है ।
2. बी कार्ड धारक सार्वजनिक यातायात ट्रान्सपोर्ट का व्यापार करने वाले व्यक्ति । जन सेवा । देश सेवा । के लिए कितने भी । सार्वजनिक यातायात ट्रान्सपोर्ट वाहन रख कर । जन सेवा । देश सेवा । कर सकता है ।

बी कार्ड से जन कल्याण

1. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । देश हित में खर्चा कर सकता है । य भारत सरकार के एन कार्ड में दान कर सकता है ।
2. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । जन कल्याण में खर्चा कर सकता है ।
3. कुँवा । तालाब । बावडी । प्याऊ । पेड । पुस्तक य अखबार वाचनालय । सड़कों य सार्वजनिक स्थलों पर छाया दार कुर्सियां । य सार्वजनिक खेल समारोहों का आयोजन । आदि अन्य जन कल्याण में खर्चा कर सकता है ।
4. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । सार्वजनिक लड़कियों की शादी का समारोह । आयोजित कर सकता है ।
5. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । सार्वजनिक भोजन समारोह में । खाना खिला सकता है ।
6. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । भूकंप । बाढ़ । सुनामी । जैसी य अन्य आपदाओं पर खर्चा कर सकता है ।

जीसियो नियम फार्मूला बी कार्ड यानी ब्यापार कार्ड

7. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । किसी भी धर्म के । धार्मिक कार्य का । आयोजन कर सकता है ।
8. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । किसी भी धार्मिक स्थल में । दान कर सकता है ।
9. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । किसी भी मरीज के दवाई । य इलाज पर खर्चा कर सकता है ।
10. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । मरीज ब्यक्ति की धन से । मदद कर सकता है ।
11. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । मरीज ब्यक्ति को दान के तौर पर । धन दे सकता है । य इलाज का पूरा खर्चा उठा सकता है ।

मरीज ब्यक्ति को दान देने के नियम

1. दान कर्ता य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । दान य मदद धन । मरीज ब्यक्ति के पी कार्ड में ही । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।
2. मरीज ब्यक्ति । अपने पी कार्ड से । डॉक्टर के यू कार्ड में । मरीज सेवा धन । य दवाइयों का खर्चा आदि । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।
3. दान कर्ता य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । सीधे सीधे डॉक्टर के यू कार्ड में । मरीज सेवा धन । य दवाइयों का खर्चा आदि । नहीं जमा कर सकता ।
4. दान कर्ता य मदद कर्ता । जरूरत मंद ब्यक्ति के सिर्फ पी कार्ड में ही मदद धन हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है । किसी अन्य कार्ड में नहीं हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।

जेल में बंद व्यक्ति को दान देने के नियम

1. परिवार । य रिस्तेदार । य दान कर्ता । य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । दान । य मदद धन । जेल में बंद ब्यक्ति के । उसी कार्ड में ही हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है । जिस कार्ड का कर्जा है ।
2. जेल में बंद ब्यक्ति । अपने उसी कार्ड से । बैंक का धन ब्याज के साथ । बैंक के । बी य एन कार्ड में ही जमा करेगा ।
3. परिवार । य रिस्तेदार । य दान कर्ता । य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । सीधे सीधे मे । बैंक का धन ब्याज के साथ । बैंक के बी य एन कार्ड में । नहीं जमा कर सकते ।

बी कार्ड से लेन देन के नियम

1. लेन देन के नियम – उदाहरण – माना कि सुरेश का बी कार्ड नं है 12345 । और अली का बी कार्ड नं है । 67890 । अली । सुरेश को 1000 रु देना चाहता है ।

जीसियो नियम फार्मूला बी कार्ड यानी ब्यापार कार्ड

1. तो अली । अपने कार्ड मे । सुरेश का कार्ड नं । 12345 + 1000 रु + धन देने की वजह । अंकित करेगा । फिर ओके करेगा । तो अली के कार्ड से । सुरेश के कार्ड में । 1000 रु जमा हो जायेंगे ।
2. लेकिन अली । सुरेश के कार्ड से रु - माइनस नहीं कर सकता । क्योंकि बी कार्ड में - माइनस का बटन होगा ही नहीं ।
3. कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से । दूसरे के कार्ड से धन नहीं ले सकता । जब सामने वाला देगा । तभी मिलेगा ।
4. बी कार्ड से सिर्फ । धन दिया जा सकता है । धन मंगाया नहीं जा सकता ।

बी कार्ड का धन जमा बाक्स

1. बी कार्ड मे 1 धन जमा बाक्स होगा ।
2. बी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा करके । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने से । बिना अपना पर्सनल कोड नं डाले । धन जमा बाक्स नहीं खुलेगा ।
3. बी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद भी । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा किया जा सकता है । जो बी कार्ड प्रदर्शित होगा ।
4. बी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद । कोई दूसरा व्यक्ति । बी कार्ड के धन जमा बाक्स को खोल कर । धन नहीं ले सकता ।
5. बी कार्ड मे जमा किया हुआ धन । सिर्फ धन जमा बाक्स मे ही जमा होगा । खर्चा बाक्स मे जमा नहीं होगा ।

बी कार्ड का खर्चा बाक्स

1. बी कार्ड मे 1 खर्चा बाक्स होगा ।
2. बी कार्ड के खर्चा बाक्स मे । यदि 100 रु रखा गया है । तो बी कार्ड खर्चा बाक्स से । 100 रु से अधिक खर्चा नहीं होगा । भले ही बी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो
3. यदि बी कार्ड । किसी अन्य ब्यक्ति के हाथ मे । 100 रु खर्चा करने के लिए दिया गया हो । तब भी बी कार्ड उपयोगी ब्यक्ति । बी कार्ड के धन जमा बाक्स से । जमा धन की जानकारी भी नहीं ले सकता ।

उदाहरण

1. माना कि । सुरेश । बाजार जाने मे । असमर्थ है । वह रमेश से । 100 रुपया के । फल मंगाना चाहता है ।
2. तो सुरेश । अपने कार्ड के । खर्चा बाक्स मे । 100 रु जमा करके । कार्ड । रमेश को देगा । 100 रुपया के । फल लाने के लिए ।

जीसियो नियम फार्मूला बी कार्ड यानी ब्यापार कार्ड

3. तब रमेश बाजार मे । सुरेश के कार्ड के । खर्चा बाक्स से । सिर्फ 100 रुपया ही । खर्चा कर सकता है । भले ही कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो ।
4. और सुरेश के कार्ड के । धन जमा बाक्स का । धन सुरक्षित भी रहेगा ।

बी कार्ड नकल सम कार्ड

1. बी कार्ड का । नकल सम कार्ड बनेगा ।
2. बी कार्ड का नकल सम कार्ड । व्यक्ति के मदद के लिए उपयुक्त होगा ।

बी कार्ड के नकल सम कार्ड का धन जमा बाक्स

1. बी कार्ड के नकल सम कार्ड मे । धन जमा बाक्स होगा 1 ।
2. बी कार्ड के नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा करके । अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने से । बिना अपना पर्सनल कोड नं डाले । धन जमा बाक्स नही खुलेगा ।
3. बी कार्ड के नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स मे अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने के बाद भी । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा किया जा सकता है । जो बी कार्ड । और नकल सम कार्ड मे प्रदर्शित होगा ।
4. बी कार्ड य नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने के बाद । कोई दूसरा व्यक्ति । बी कार्ड य नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स को खोल कर । धन नही ले सकता ।
5. बी कार्ड के नकल सम कार्ड मे । जमा किया हुआ धन सिर्फ । धन जमा बाक्स मे ही जमा होगा । खर्चा बाक्स मे जमा नही होगा ।

बी कार्ड का नकल सम कार्ड खर्चा बाक्स

1. बी कार्ड का नकल सम कार्ड मे । खर्चा बाक्स होगा 1 ।
2. बी कार्ड के नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । यदि 100 रु रखा गया है । तो नकल सम कार्ड से । 100 रु से अधिक खर्चा नही होगा । भले ही नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो ।
3. और नकल सम कार्ड उपयोगी व्यक्ति । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स से । जमा धन की जानकारी भी नही ले सकता है ।

उदाहरण

1. माना कि सुरेश । बाजार जाने मे असमर्थ है । वह रमेश से 100 रु के । फल मंगाना चाहता है
2. तो सुरेश । अपने के कार्ड के । नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । 100 रु जमा करके । नकल सम कार्ड । रमेश को देगा । 100 रु के फल लाने के लिए ।

3. तब रमेश बाजार मे । सुरेश के नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स से । सिर्फ 100 रु ही खर्चा कर सकता है । भले ही । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो ।
4. यदि रमेश को बाजार मे । अधिक धन की जरूरत है । तो जब सुरेश । अपने के कार्ड से । अपने सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । धन जमा करेगा । तभी रमेश । सुरेश के सम कार्ड से अधिक धन खर्चा कर सकता है ।
5. यह प्रक्रिया कभी भी की जा सकती है ।
6. तब बाजार जाने मे असमर्थ सुरेश । अपने के कार्ड के । नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । 100 रु जमा करके । रमेश से । 100 रु के फल मंगा सकता है ।
7. और सुरेश के धन जमा बाक्स का धन । सुरक्षित भी रहेगा ।

सेवा निवृत्ती पर यदि व्यक्ति का व्यापार बेचा जाना संभव है तो

1. बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त के समय व्यक्ति । यदि कोई प्राईवेट नौकरी करता है । तो सेवा निवृत्ती के समय । प्राईवेट नौकरी पर भारत सरकार का अधिकार होगा ।
2. बी कार्ड धारक के । सेवा निवृत्त के समय व्यक्ति । यदि कोई दुकान करता है । य कोई भी ऐसा व्यापार करता है । जिसे बेचा जाना संभव है ।
3. तो बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । दुकान य व्यापार को । भारत सरकार व्दारा । किसी जरूरत मंद । पी बी कार्ड धारक व्यक्ति को । दुकान य व्यापार बेच दिया जायेगा ।
4. बेच का धन । खरीदने वाले व्यक्ति के बी कार्ड से । सेवा निवृत्त बेचने वाले के । बी कार्ड मे जमा होगा ।
5. और फिर बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । बी कार्ड से सारा धन । पी कार्ड मे स्थान्तरित होगा । और बी कार्ड हमेशा के लिए बन्द हो जायेगा ।

सेवा निवृत्ती पर यदि व्यक्ति का व्यापार बेचा जाना संभव नहीं है तो

1. यदि बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति । किसी भी अन्य कार्ड से । कोई ऐसा व्यापार करता है । जिसे बेचना संभव नहीं है ।
2. तो उस व्यापार पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । भारत सरकार किसी योग्य व्यक्ति को । वह व्यापार । प्रति माह उचित भाडे पर । चलाने को दे सकती है ।
3. और व्यापार चलाने वाला व्यक्ति । भारत सरकार को व्यापार चलाने का । प्रति माह उचित भाडा देगा । जो भारत सरकार के एन कार्ड मे जमा होगा ।
4. और व्यापार चलाने व्यक्ति । सेवा निवृत्त व्यक्ति को । प्रति माह उचित रायल्टी देगा । जो सेवा निवृत्त व्यक्ति के पी कार्ड मे जमा होगी ।
5. फिर सेवा निवृत्त व्यक्ति के । किसी भी अन्य कार्ड से सारा धन । पी कार्ड मे स्थान्तरित होगा । और कोई भी अन्य कार्ड । हमेशा के लिए बन्द हो जायेगा ।

प्रथम बैंक का कर्जा चुकता

1. यदि बी कार्ड धारक सेवा निवृत्त व्यक्ति के । किसी भी कार्ड से । भारत मे । किसी भी बैंक का कर्जा बाकी है । तो पी कार्ड से । प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
2. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा बाकी रहता है । तो रायल्टी धन से । प्रथम प्रति माह बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
3. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा । बाकी रहता है । तो पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से । मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे से । प्रथम बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
4. बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता होने के बाद । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । जो भारत सरकार के । एन कार्ड मे जमा होगी ।
5. उसके बाद बचे हुये धन को । पी कार्ड धारक सेवा निवृत्त व्यक्ति । उपयोग कर सकता है ।
6. लेकिन पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । 5000 रु प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन पर । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । जीवित रहने तक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । अधिकार होगा ।
7. और सेवा निवृत्त व्यक्ति के । मृत्यु पश्चात् । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
8. पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यु पश्चात् । रायल्टी बंद हो जायेगी । और रायल्टी धन बैंक को मिलना बंद हो जायेगा ।
9. और सेवा निवृत्त व्यक्ति का । पी कार्ड बन्द हो जायेगा ।
10. इस तरह व्यक्ति 60 वर्ष के बाद का जीवन । आराम से सुख पूर्वक । ऐश करते हुए गुजारेगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की